

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या- 08/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड		1. सरपंच ग्राम पंचायत, सांतपुर। 2. श्री मनोज कुमार पुत्र श्री हीरालाल बारोट निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:-

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 13.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त कराने हेतु इस विनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त प्रस्ताव राजस्थान पंचायती राज नियम 156 की पालना किए बिना जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्तागण ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को मुख्यमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत कियोस्क आवंटन पंचायतीराज विभाग के पत्रांक/एफ4(1)/पि.सी./मु.योजना/2001/892 दिनांक 25.06.2002 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश में वर्ष 2002-03 में यह कियोस्क आवंटन नियमों के विरुद्ध राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 के अन्तर्गत जारी किया है। यह है कि प्रार्थना पत्र के संलग्न होने वाले दस्तावेज प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 06 से 10 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही प्रार्थना पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर हैं न ही सचिव द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की गई है। यह है कि आवंटन हेतु जो नक्शा बनाया जाता है उसे भी सरपंच द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित पात्रता एवं पंचायत नियमों से परे जाकर प्रार्थना पत्र एवं पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना ही नियम विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है।

जिला कलक्टर, सिरोही

यह है कि आंवटित कियोस्क भूमि का बाजार दर रूपए की 25 प्रतिशत राशि अर्थात 50.00 रूपए लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं राशि जमा कराने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई एवं उक्त निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने पर आंवटन निरस्त हो जाने का निर्णय पारित किया गया लेकिन आंवटी द्वारा म्याद बाहर राशि जमा करवाई जो तत्समय प्रचलित बाजार दर 240/- प्रति वर्गफीट थी लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 200/- के आधार पर राशि प्राप्त कर पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। यह है कि जिस भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया है उसकी चतुर्दशी में उत्तर दिशा में ठाकुरद्वारा बताया गया है, जबकि मौके पर आम रास्ता चल रहा है। कियोस्क स्थल की भूमि रास्ता के रूप में उपयोग ली जा रही है। ग्राम पंचायत को रास्ता भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न लगे दस्तावेजों से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा कियोस्क भूमि आंवटन प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को पारित किया गया। यह है कि पंचायतीराज विभाग के पत्रांक/एफ4(1)/पि.सी./मु.योजना/2001/892 दिनांक 25.06.2002 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश में कियोस्क आंवटन राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 के अन्तर्गत जारी किया जाने का प्रावधान है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि कियोस्क आंवटन पत्रावली में प्राप्त प्रार्थना पत्र के साथ राशन कार्ड की प्रति जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, मतदाता परिचय पत्र से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह है कि आंवटन प्रार्थना पत्र के संलग्न होने वाले दस्तावेज प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 06 से 10 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए हैं एवं न ही प्रार्थना पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर हैं, न ही सचिव द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की टिप्पणी की गई है। यह है कि आंवटन हेतु जो नक्शा तैयार किया गया है, उस पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर नहीं हैं, जिससे उक्त नक्शे को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145(3) की पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित पात्रता एवं पंचायत से परे जाकर प्रार्थना पत्र एवं पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना नियम विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। यह है कि आंवटित कियोस्क भूमि का बाजार दर रूपए की 25 प्रतिशत राशि अर्थात 50.00 रूपए लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं राशि जमा कराने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई एवं उक्त निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने पर आंवटन निरस्त हो जाने का निर्णय पारित किया गया लेकिन आंवटी द्वारा म्याद बाहर राशि जमा करवाई जो तत्समय प्रचलित बाजार दर रूपए 240/- प्रति वर्गफीट थी लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा रूपए 200/- के आधार पर राशि प्राप्त कर पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। यह है कि जिस भूमि का विक्रय विलेख जारी किया गया है उसकी चतुर्दशी में उत्तर दिशा में ठाकुरद्वारा बताया गया है, जबकि मौके पर आम रास्ता चल रहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कियोस्क स्थल की भूमि रास्ता के रूप में उपयोग ली जा रही है। अतः ग्राम पंचायत को रास्ता भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है।

जिला कलेक्टर, मिराठी

अतः उपरोक्त अनियमितताओं एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही